संख्या-956/2025/4195/22-2-2023-17(551)/2023

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 31 जुलाई,2025

विषय:-केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सौरभ पुत्र श्री महेश ब्राहमण, निवासी जनपद-एटा की स्थायी नीति के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें उ0प्र0 के पत्र संख्या-34938/प्रो0(6)/231(मानवा0 दिवस,2023), दिनांक 05.12.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सौरभ पुत्र श्री महेश बाहमण जो ब्रहमपुरी उर्फ हथलेडी, थाना-सोरों, जनपद-एटा का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक 15.10.2001 को कुमारी राधा उम्र 16 वर्ष के साथ बलात्कार करने में असफल रहने के कारण कुमारी राधा की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या करने जैसा घृणित व शर्मशार करने वाला अपराध किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या823/2001 में भा0द0वि0 की धारा-302,376/511 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 एटा के आदेश दिनांक 05.11.2003 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 06-06-2016 द्वारा निर्णीत करते हुये उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.12.2023 तक 20 वर्ष, 11 माह, 02 दिन की अपरिहार सजा तथा 26 वर्ष, 07 माह, 18 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा उल्लिखित किया गया है कि बंदी द्वारा दिनांक 15.10.2001 को कुमारी राधा उम्र 16 वर्ष के साथ बलात्कार करने में असफल रहने के कारण कुमारी राधा की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या करने जैसा घृणित व शर्मशार करने वाला अपराध किया गया एवं अन्य वाद लम्बित होने से स्पष्ट है कि उक्त बन्दी आपराधिक प्रवृत्ति का है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। अतएव बन्दी के ऊपर वाद लम्बित होने एवं बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता तथा समाज को प्रभावित करने वाले अपराध के दृष्टिगत समिति द्वारा शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 एवं यथासंशोधित शासनादेश सं0-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28 जुलाई, 2021, संशोधित शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी/2018 दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-12 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सौरभ पुत्र श्री महेश बाहमण की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सौरभ (बन्दी संख्या-24165) पुत्र श्री महेश ब्राहमण, निवासी जनपद-एटा की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-956/2025/4195(1)/22-2-2023-17(551)/2023तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, एटा।

2- पुलिस अधीक्षक, एटा।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।